न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 146 / 2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1नेमीचंद पुत्र मोहनलाल देवडा जाति माली निवासी बास तुलीसर ताउसर तहसील व जिला नागौर। 2रूपचंद पुत्र पांचाराम जाति भाटी माली निवासी बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर। 3पापालाल पुत्र बिरदीचंद जाति भाटी माली निवासी बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1पूसाराम पुत्र मदनलाल भाटी जाति माली निवासी बाइसर बास, ताउसर तहसील व जिला नागौर। 2ग्राम पंचायत ताउसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ताउसर तहसील व जिला नागौर। 3ओमप्रकाश पुत्र पूसाराम जाति माली निवासी ताउसर बास बाईसर तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री कैलाश गालवा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री रामेश्वरलाल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 09.03.21

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 15.02.1991 जिसके द्वारा पटटा सं. 25 / 1990–91 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 18.05.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है। निगरानी के सुनवाई के दौरान प्रार्थी ओमप्रकाश को बतौर पक्षकार सं. 3 बनाया गया। उनकी ओर से श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में मिसल सं. 26 / 1990–91 की फोटोप्रति, पटटा सं. 25 की फोटोप्रति, ग्राम ताउसर की जमाबंदी (खतौनी) संवत 2067–70 की फोटोप्रति, मूल फोटो–3, रसीद की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 23.10.17 की फोटोप्रति, पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.10.17 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 5.4.18 की प्रमाणित प्रतिलिपि, शिकायत प्रार्थना पत्र ग्रामवासी ताउसर दिनांक 11.5.18 के दो प्रार्थना पत्रो की फोटोप्रतियां एवं प्रकरण सं. 29 / 18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल फर्द अहकाम दिनांक 11.05.18 से 14.5.18, निर्णय दिनांक 14.5.18, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.5.18, पटवारी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.5.18 बाबत टीपी रिपोर्ट पेश करने, नोटिस दिनांक 11.5.18, ग्रामवासी ताउसर प्रार्थना पत्र दिनांक 14.5.18 एवं तहसीलदार के पत्र दिनांक 16.5.18 की प्रतिया तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत–अजमेर के निर्णय दिनांक 8.8.19 की फोटोप्रति तथा पटटा सं. 25 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी सं. 3 द्वारा बख्शीसनामा दिनांक 19.8.18 पूसाराम बहक ओमप्रकाश की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 04.11.19 के एक प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी सुनने का अधिकार नही होने को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रकरण के साथ ही बहस सुनी जाकर निस्तारण करने का विनिश्चय किया गया। प्रार्थी सं. 1 नेमीचंद द्वारा दिनांक 01.03.21 को निगरानी विड्रावल करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–प्रस्ताव व पटटा जैर निगरानी खिलाफ कानून एवं तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं मौके की स्थिति के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)–विवादित भूमि आबादी भूमि नही है व न ही ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आंवटित भूमि है। बल्कि राजस्व भूमि है तथा खसरा नं. 651 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म जमीन गै.मु. गोचर भूमि है जो किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार मे नही आती है। साथ ही ऐसी भूमि के संबंध मे किसी प्रकार का पटटा जारी नही किया जा सकता है। भूमि चारागाह उपयोग हेतु सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्व भूमि है। जिसके संबंध मे किसी भी प्रकार का पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि का पटटा जारी करने का अधिकार है अन्य किसी भी भूमि के संबंध मे पटटा जारी करने हेतु अधिकार नही है। फिर भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गलत रूप से पटटा जारी किया है। इसलिये भी

अपर कलक्टर, नागौर

प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी अवैध व गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किये गये होने से निरस्तनीय है।

2(3)–ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा आबादी भूमि के निस्तारण हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत जो नियम 141 से 160 तक दिये गये है। उनमे से किसी भी नियम की कोई पालना नही की है तथा संपूर्ण कार्यवाही दिये गये नियमो के विपरीत जाकर की गई है। इसलिये भी प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी नियमो के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्तनीय है।

2(4)–आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर करने का आदेश दिया जाता है तथा स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचो की समिमि नियुक्ति हेतु पत्रावली आगामी बैठक मे रखी जानी आवश्यक है तथा 15 दिवस के भीतर भीतर स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की जानी आवश्यक है। उक्त पत्रावली मे दिनांक 30.06.90 को आवेदन पेश हुआ तथा कमेटी का कोई गठन नही किया गया तथा कमेटी द्वारा दिनांक 30.07.90 को निरीक्षण करना बताया गया जबकि निर्देश के 15 दिवस के भीतर मौका देखना आवश्यक है तथा मौका रिपोर्ट पर ग्राम सेवक के कोई हस्ताक्षर नही है साथ ही कोई नक्शा भी पेश नही हुआ है तथा उसी दिन उक्त रिपोर्ट पेश करना बताकर एक माह मयाद की आपति नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। जिस पर नोटिस जारी किया गया। परंतु नोटिस पर किसी भी प्रकार के क्रमांक अंकित नही है तथा उक्त नोटिस कहां पर चस्पा किया गया व कब चस्पा किया गया। इसका कोई अंकन नही है। नियम 148 के अनुसार नोटिस दो प्रतियो मे जारी किया जाना आवश्यक होता है। जिसमे से एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर व दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। साथ ही एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा होना आवश्यक है। उक्त नोटिस किनके समक्ष कहां पर चस्पा किया गया। इसका कोई अंकन नही है। साथ बिना प्रक्रिया की पालना किये प्रस्ताव व पटटा जारी करने का आदेश पारित किया गया है एवं पटटे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर भी नही है तथा पडोस भी गलत दर्ज किये है तथा नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया की पालना किये बिना सारी कार्यवाही कर प्रस्ताव व पटटा जारी किया गया है। जो विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(5)– जिस भूमि के संबंध मे पटटा जारी किया गया है। वह भूमि पूर्णतया खुली भूमि है तथा वहां पर बास बाईसर व तुलीसर एवं ग्राम ताउसर की आबादी का गंदा पानी इकट्ठा होता है जो पिछले कई वर्षो से इकट्ठा होता आया है तथा जिस दिन आवेदन पेश किया। उस दिन भी यहां पर गंदा पानी इकटठा होता रहा है तथा गढढा है। जहां पर पानी इकटठा रहता है। ऐसी स्थिति मे आवेदन पेश करने के दिन अप्रार्थी सं. 1 का किसी भी प्रकार का कब्जा नही था। साथ ही आवेदन पेश होने के पश्चात से लेकर आज दिन तक मौके पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही है तथा भूमि पूर्ण रूप से खाली है। जिस पर कोई निर्माण किया हुआ नही है। विधि अनुसार केवल मात्र आवासीय भूमि जहां पर आवास हेतु निर्माण होकर आवास रहता है। उसी भूमि का पटटा जारी किया जा सकता है। अन्य भूमि का पटटा जारी नही किया जा सकता है। बाकी भूमि का विक्रय नीलामी के द्वारा ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी तरीके से पटटा जारी नही किया जा सकता है। नियम 157 के तहत केवल मात्र पुराने मकानो के संबंध मे पटटा जारी किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार का रहवास नही है व न ही कब्जा है। इसलिये ऐसी भूमि के संबंध मे कोई पटटा जैर निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)– जो गवाहान के बयान लिये गये है। वह बयान एक ही प्रपत्र मे दो गवाह के बयान दर्ज किये गये है। जबकि दोनो के बयान अलग अलग होने से चाहिये तथा नक्शा मे भी केवल मात्र प्लोट बताया गया है। किसी भी प्रकार का निर्माण नही बताया गया है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि के संबंध मे विधि अनुसार कोई पटटा जारी नही किया जा सकता है। संपूर्ण कार्यवाही नियम विरूद्व जाकर की गई है। जो विधि सम्मत नही होने से प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी अपास्त होने योग्य है।

2(7)– वकील प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड विक्रय प्रस्ताव / पटटा दिये जाने से संबंधित मामले मे दस्तावेज पंजीबद्व हो जाने की स्थिति मे अप्रार्थी की कानूनी आपति न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार के संबंध मे बताया कि जहां धारा 97 के तहत इस प्रकार के मामले सुनवाई किये जाने की शक्तियां इस न्यायालय को निहित करती है जहां पंचायत राज नियमो के तहत पारित विनिश्चय/आदेश के आधार पर पटटा जारी किया गया है। उनके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को चेलेन्ज किया गया है वकील प्रार्थी द्वारा पटटा विलेख पंजीयन हो जाने एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड विक्रय प्रस्ताव / पटटा दिये जाने से संबंधित मामले मे क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बताया कि जहां धारा 97 के तहत इस प्रकार के मामले सुनवाई किये जाने की शक्तियां इस न्यायालय को निहित करती है जहां पंचायत राज नियमो के तहत पारित विनिश्चय/आदेश के आधार पर पटटा जारी किया गया है। जो एक पटटो के पंजीकरण की केवल एक परिणामी घटना ही है। उनके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को चेलेन्ज किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.96 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1944 की धारा 97 की शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदत्त की गयी थी। जिन्हे आदेश दिनांक 1.2.02 के द्वारा धारा 97 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को धारा 97 की शक्तियां प्रयोग करने हेतु अधिकृत नही किया गया था, जिसके पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.12.2004 के द्वारा पूर्व

अपर कलक्टर, नागौर

अधिसूचना दिनांक 03.12.96 (पंचो को हटाने संबंधी अधिकार के अलावा) को दिनांक 1.2.2002 से ही पुर्नस्थापित कर दिये जाने से जिला कलक्टर को पंचो को हटाने के अलावा धारा 97 के तहत किसी पंचायत राज संस्था द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा अपने कथन के समर्थन मे हमारा ध्यान माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी सिविल रिट पिटिशन नं. 8887/2017 मे पारित आदेश दिनांक 11.08.17 की ओर दिलाया।

2(8)– प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि आराजी भूमि ग्राम ताउसर के खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर मे स्थित है तथा इस संबंध मे ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का से जानकारी लिये जाने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 24.10.17 को अवगत कराया था कि आराजी भूमि खसरा नं. 651 रकबा 7.15 बीघा गै.मु. गोचर भूमि मे स्थित है। राजकीय गोचर भूमि मे ग्राम पंचायत को पटटे जारी करने के कोई अधिकार नही है। आराजी भूमि को लेकर तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 29/18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल मे आराजी भूमि को गोचर भूमि मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 14.05.2018 को भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति के आदेश भी पारित किये गये है, भूमि से चिपती ही आराजी भूमि इसी खसरे नं. 651 मे ही स्थित है। ऐसी स्थिति मे राजकीय भूमि पर यदि पंचायत द्वारा पटटा जारी कर भी दिया जाता है तो वो शुरू से ही प्रभाव शून्य (Ab-initio-void) माना जायेगा तथा अपने कथन के समर्थन मे घेवरचंद बनाम राज. सरकार अन्य एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 8887/2017 की फोटोप्रति, 2011(3) डीएनजे (राज) पेज 1286, 2010(3) डीएनजे (राज) पेज 1147, 2015(1) डीएनजे (राज) पेज 443, 2016(4) डीएनजे (राज) पेज 1799, आरआरटी 2002 (2) पेज 737, 2013(1) डीएनजे (राज) पेज 177, 2008(3) डीएनजे (राज) पेज 604, 2016(3) डीएनजे (राज) पेज 1202, 2016(3) डीएनजे (राज) पेज 1202, 2003(2) आरआरटी (राज) पेज 1328, 2015(2) डीएनजे (राज) पेज 595, 2009(1) आरआरटी (राज) पेज 609 तथा 2012(2) आरआरटी (राज) पेज 1265 नजीरे प्रस्तुत की।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि –

3(1)–वकील अप्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि निगरानी कर्ता ने ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा जारी पटटा दिनांक 30.06.90 को निरस्त करने के लिये निगरानी पेश की है। यह पटटा न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अजमेर द्वारा प्रकरण सं. 18/19 मे पारित आदेश दिनांक 08.08.19 के द्वारा पटटा रजिस्टर्ड किया जा चुका है। रजिस्टर्ड पटटे को निरस्त करने के अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। न्यायलय हाजा को इस निगरानी पर सुनने का अधिकार क्षेत्र नही है।

3(2)–प्रकरण मे प्रार्थी सं. 1 नेमीचंद द्वारा दिनांक 01.03.21 को निगरानी वापस लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है तथा प्रार्थी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता एक ही व्यक्ति है। जिनके द्वारा विड्रावल का समर्थन किया गया है। इसलिये संपूर्ण निगरानी वापस ले लिये जाने से अब यह निगरानी चलने योग्य नही होने से खारिज की जानी चाहिये।

3(3)–प्रश्नगत भूमि का राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से आबादी भूमि का विक्रय / हस्तान्तरण किया गया है। जिसका नियम 266 (घ) के अन्तर्गत 18–20 वर्ष का कब्जा मानते हुए 889 रू. बाजार कीमत पर मानते हुए विक्रय किया गया है। जो विहित प्रक्रिया के तहत ही जारी हुआ है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, जिसके अनुसार –

4(1)– प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली सं. 26/90–91 जिसमे प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 15.02.1991 को अप्रार्थी पूसाराम पुत्र मदनलाल को पटटा सं. 25 दिनांक 15.06.91 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4(2)– अप्रार्थी का उजर रहा है कि प्रश्नगत भूमि का राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से आबादी भूमि का विक्रय / हस्तान्तरण किया गया है। जिसका नियम 266 (घ) के अन्तर्गत 18–20 वर्ष का कब्जा मानते हुए 889 रू. बाजार कीमत पर मानते हुए विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति मे पंचायत राज नियमो के अन्तर्गत जारी आवंटन / विक्रय से संबंधित प्रस्ताव पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। इस संबंध मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधान यथा "राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के संबंध मे, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमे पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे मे या ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे मे स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी मामले मे, राज्य सरकार मे, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।" अधिकारिता को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.96 के द्वारा जिला कलक्टर को धारा 97 की शक्तियां प्रदत की गयी थी। तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 139 (5) पं. रावि / शिक्षा / 2000 /294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा दिनांक 01.02.02 के पश्चात धारा 97 के तहत सुनवाई के अधिकार वापस लिये गये। तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ4 (10) परावि / विधि / संशोधन /

2004 / 3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार, अधिसूचना दिनांक 03.12.96 (पंचो को हटाने के अधिकार के अलावा) को दिनांक 01.02.2002 से ही पुर्नस्थापित कर जिला कलक्टर को शक्तियां प्रदान की हुई है। ऐसी स्थिति मे पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी सुनने के क्षेत्राधिकार इस न्यायालय मे निहित है। इस स्थिति मे भी निगरानी सुनवाई क्षेत्राधिकार मे कोई बाध्यता प्रतीत नही होती है तथा इस संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी सिविल रिट पिटिशन नं. 8887 / 2017 घेवरचंद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 11.08.17 का समर्थन मिलता है।

4(3)– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम पंचायत ताउसर के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 23.10.17 के द्वारा स्कीम बाजार के पास स्थित राजकीय अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय के सामने खुली पडी जमीन पर पानी इकटठा हो रखा है। उक्त भूमि की किस्म रामेश्वरलाल पुत्र पूनमचंद द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम मे पटवारी से जानकारी चाही गयी। जिस पर पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.10.17 के अनुसार उक्त भूमि ग्राम ताउसर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा अनुसार खसरा नं. 651 रकबा 7.15 बीघा गै.मु. गोचर मे अवस्थित होना बताया गया है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 29 / 18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.05.18 से भी विवादित भूमि खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर वाके ताउसर का भू भाग इसी प्रश्नगत भूमि मे ही होना प्रकट करता है। जब भूमि आबादी क्षेत्र की नही है तथा न ही पंचायत की अपनी भूमि है तो ऐसी भूमि को पंचायत द्वारा विक्रय / आवंटन के कोई अधिकार निहित नही करते हुए भी प्रस्ताव जैर निगरानी पारित किया जाना प्रकट है।

4(4)– अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली सं. 26 / 90–91 श्री पूसाराम पुत्र मदनलाल का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 30.06.90 को उसके पीढियो की कब्जासुद भूमि का पटटा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तीन वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.07.90 को प्रस्तुत हुई है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 30.07.90 के द्वारा कब्जासुद भूमि का पटटा बनाने बाबत एक माह का मियाद का आपत्ति नोटिस जारी करने का विनिश्चय किया गया है। जिस पर दिनांक 30.07.90 को जारी नोटिस आम गुवाड मे धनराज तथा पापालाल के सामने चस्पा किया जाना अंकन आया है। कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत ताउसर दिनांक 30.9.90 के प्रस्ताव सं. 1 के अनुसार आपति नोटिस पर कोई आपति नही होना मानते हुए संबंधित प्रार्थी को कब्जे के सबूत एवं बयान हेतु आगामी बैठक मे पेश करने के निर्देश दिये गये। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 256 (2) के तहत पंचायत से आबादी भूमि खरदीने के लिये दरख्वास्त के साथ पंचायत मे 2 रू. जो भूमि खरीदी जानी है। उसका नक्शा तैयार करने के लिये जमा करवाये जाने के प्रावधान है। मगर प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवायी गयी हो, ऐसा पत्रावली पर नही है। नियम 260 के अन्तर्गत सूचना पत्र दो प्रतियो मे तैयार किया जाकर एक प्रति उसे बेची जाने के लिये प्रस्थापित भूमि के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकायी जायेगी और दूसरी प्रति उसको वहां चिपकाये जाने की पुष्टि मे उस स्थान के कम से कम दो स्थानीय व्यक्तियो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगे। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस आपति विज्ञप्ति की प्रति पृष्ठ पर नोटिस आम गुवाड मे धनराज व पापालाल के सामने चस्पा किये जाने का अंकन है। जबकि ये नोटिस संबंधित स्थल पर चस्पानगी दो स्थानीय व्यक्तियो के सामने चस्पानगी नही हुई है। धनराज व पापालाल नामक व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति है अथवा नही, उसकी वल्दियत व निवास का विवरण अंकित नही है। जिससे आपति नोटिस की पर्याप्तता दर्शित नही होती है। साक्ष्य के बयानो मे विवादित भूमि पर कब्जा 18–20 वर्ष पुराना बताया गया है। मगर कब्जा किस प्रकार से है, आया उस पर कोई निर्माण है अथवा नही। ऐसा कोई अंकन नही है। जिससे भी आराजी भूमि तत्समय खुली होना ही प्रकट करता है। इस प्रकार पटटा जैर निगरानी पारित करने से पूर्व पंचायत राज नियमो के विधिक आज्ञापक प्रावधानो की पालना किया जाना भी प्रकट नही होता है।

ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ताउसर की बैठक दिनांक 15.02.1991 के प्रस्ताव सं. 3 के द्वारा मिसल सं. 26 / 90–91 पूसाराम पुत्र मदनलाल माली को पटटा जारी करने से संबंधित प्रस्ताव एवं मिसल सं. 26 / 90–91 मे जारी पटटा सं. 25 बहक पूसाराम की सीमा तक निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर